<u>राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर</u>

<u>एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या–15/2009</u>

आदेश दिनांकः– **02.09.2022**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता</u>

उपस्थितः–
अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :– श्री सचिन कुमार
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :– श्री जिशान खान

प्रार्थना पत्र संख्या–01/2021 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. प्रत्यर्थी संख्या–03 श्री महावीर रस्तोगी, जिसकी मृत्यु दिनांक 25.10.2021 को होना बताया गया है, के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लेने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

मृतक प्रत्यर्थी संख्या–03 श्री महावीर रस्तोगी के विधिक प्रतिनिधिगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किए थे जो उन पर तामील हो चुके हैं परन्तु उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है ।

सुना गया ।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए व इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थना पत्र निश्चित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है व उसके संबंध में मृतक प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधिगण ने कोई आपत्ति नहीं की है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या –1 में वर्णित मृतक प्रत्यर्थी संख्या– 03 श्री महावीर रस्तोगी के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लिया जाता है ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत करने हेतु दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/34